

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 17(ई)/93/04/21-य(द),

भोपाल, दिनांक 13/4/2010.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
(मध्यप्रदेश) ।

विषय:- न्यायालयों की अवमानना के मामलों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से पक्ष समर्थन के संबंध में ।

-----00-----

राज्य शासन, इस विभाग के समस्तसंख्यक आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2005 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24-2-10 को एतद्वारा, निरस्त करते हुये, म0प्र0 उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर, खण्डपीठ, इन्दौर एवं ग्वालियर में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु महाअधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर में नियुक्त सभी अधिवक्तागण जो शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं (पैनल अधिवक्ता को छोड़कर) सभी को अवमानना प्रकरणों में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु एतद्वारा, अधिकृत किया जाता है ।

2/ अवमानना प्रकरणों में पैरवी करने के फलस्वरूप नियुक्त अधिवक्ता को प्रति प्रकरण फीस रुपये 5,000/- (रु0 पांच हजार) एवं अन्य व्यय के लिये रुपये 500/- (रु0 पांच सौ) का भुगतान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जावेगा । इसके अतिरिक्त किसी भी अवमानना के प्रकरण में चाहे जितनी संख्या में शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को अनावेदक के रूप में संयोजित/जोड़ा गया है उसे सिर्फ एक ही प्रकरण मानकर भुगतान किया जावेगा । अवमानना याचिका के निरस्त होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी इस फीस की प्रतिपूर्ति अपने प्रशासकीय विभाग से पा सकेंगे ।

3/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा । इसके पूर्व के प्रकरणों में पूर्व निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(50 जे0 खान)
सचिव,
13.4.2010

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक : 17(ई)/93/04/21-व(या)

भोपाल, दिनांक 13/4/2010

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर,
 - (2) रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर,
 - (3) महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर,
 - (4) महाधिवक्ता, म0प्र0 जबलपुर
 - (5) अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर,
 - (6) आपराधिक शाखा/पादिका शाखा/सिविल शाखा/बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग,
 - (7) समस्त शासकीय अधिवक्तागण, जबलपुर, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(भूपेन्द्र कुमार निगम)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

नेमी टीप


(केवल ऐसी टीपों आदि के लिये
ही उपयोग में लाया जाये जो
स्थायी अभिलेख के लिये न हों)

Recd.
30/5/15
5:10pm

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित “ मंथन 2014 की अनुशंसा” क्रमांक
05.12 एवं 05.13 के क्रियान्वयन के संबंध में।

पंजी क्रमांक 1979/21-ब(दो), दिनांक 27.05.2016

उपरोक्त विषयक वरिष्ठ लेखाधिकारी स्थापना शाखा की टीप दिनांक 26.
05.2016 के परिपेक्ष्य में अनुशंसा क्रमांक 05.13 के पालन में पूर्व में जारी
परिपत्र दिनांक 13.04.2010 जो कि मंथन 2014 से संबंधित है की छायाप्रति
निर्देशानुसार आपकी ओर भेजकर विभागीय पोर्टल में अपलोड कराने का कष्ट
करें।


30-5-16

(संजीव भार्गव)
प्रभारी अनुभाग
अधिकारी बी-2

प्रशासकीय अधिकारी,
स्थापना शाखा/आईटी शाखा